अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 172/2014 अपीलार्थी – मसो0 सुनीता देवी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 683/प्रो0 दिनांक 29.01.2014 के विरूद्ध स्थानान्तंरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि दिनांक 30.03.2013 को 11:30 बजे दिन में छातापुर परियोजना के केन्द्र सं0–188 चरखा भवन राजेश्वरी केन्द्र का वहाँ की महिला पर्यवेक्षिका कुमारी कौमा द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सेविका मसो0 सुनीता देवी केन्द्र से अनुपस्थित थी, जबकि सहायिका 20 बच्चों के साथ केन्द्र पर उपस्थित मिली। सेविका की अनुपस्थिति के संबंध में कार्यालय पत्रांक 855/प्रो0 दिनांक 24.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किया गया। दिनांक 29.06.2013 को निर्धारित तिथि को सेविका अपने स्पष्टीकरण के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के पास उपस्थित हुई। अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि मै उक्त निरीक्षण तिथि को भी ससमय केन्द्र पर पहुँची थी, उस समय तक केन्द्र पर 20 बच्चें आ गए थे शेष बचे हुए बच्चों को लाने हेतु मैं केन्द्र के आस– पास के घरों से बच्चें को बुलाने उनके घर गई थी,	

क्योंकि सहायिका का पैर का प्लास्टर उसी दिन काटा गया था तथा उसे ज्यादा चलने फिरने से मना ही थी। उसी समय के अंतराल के बीच महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया, एवं मुझे अनुपस्थित पाई । किन्तु सेविका के स्पष्टीकरण जबाव से असंतुष्ट होकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने केन्द्र से अनुपस्थिति का आरोप लगाकर चयन मुक्ति आदेश निर्गत कर दिए।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता,सरकारी अधिवक्ता ने अपना – अपना पक्ष, कागजात, साक्ष्य, प्रस्तुत किए।

इस अपीलवाद में अपीलार्थी के ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण की तिथि को अपीलार्थी अन्य दिनों की भाँति ससमय केन्द्र पर आई और सहायिका भी केन्द्र पर आई, सहायिका का पैर टूट गया था, जिसके कारण पैर पर प्लास्टर था जिसे उसी दिन काटा गया था, जिसके कारण वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए अपीलार्थी सेविका शेष बचे बच्चें को स्वंय बच्चों को बुलाने घर पर गई थी, इसी बीच महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती कौमा 11:30 बजे केन्द्र पर पहुँची केन्द्र खुला पाया, केन्द्र पर उस वक्त तक 20 बच्चें उपस्थित थे, सेविका के संबंध में सहायिका ने भी बताया था कि बचे हुए बच्चों को लाने उनके घर पर गई है, उनकी बातों से संतुष्ट होकर पर्यवेक्षिका चली गई, किन्तु बाद में अपने निरीक्षण रिर्पोट जो जिला प्राग्राम पदाधिकारी सुपौल को भेजा उसमें गलत रूप से व्याख्या करते हुए अपीलार्थी (सेविका) को अनुपस्थित बतातें हुए एक माह का अनुशासिक राशि वसूली, की अनुशंशा की गई, जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने सेविका से स्पष्टीकरण माँग करते हुए उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर असहमति व्यक्त करते हुए चयन मुक्ति आदेश निर्गत किया गया। जो बिल्कुल ही उचित नहीं है बल्कि नैसर्गिक न्याय के भी विरूद्ध है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल चयन मुक्ति आदेश में सहायिका के पैर टूटने की एवं पैर में परेशानी होने की बात को मनगढ़न्त एवं बनावटी बताते हुए अपीलार्थी (सेविका) के स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया जबकि दिनांक 05.03.2013 को भी निरीक्षण तिथि में महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती कौमा द्वारा उक्त केन्द्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया थी कि सेविका उपस्थित सहायिका का पैर टूटा होने के कारण सहायिका की बेटी ही पोषाहार बना रही थी, उक्त बाते निरीक्षण पंजी में दर्ज की है, जिसे भी अवलोकन कराया गया। निम्न न्यायालय द्वारा सेविका के इस बात

को नजर अंदाज कर कि सहायिका का पैर टूटा नहीं था उस पर प्लास्टर नहीं था, आदेश पारित किया गया, जो खंडित करने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में "एक माह का अनुशंसित राशि की वसुली की जाय" वावजूद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने कठोरतम आदेश पारित करते हुए चयन मुक्ति आदेश दिया गया जो नैसर्गिक नियम एवं न्याय के विरूद्ध है, उन्होंने यह भी कहा कि अपीलार्थी सेविका निर्दोष है, जान बूझ कर अपराध नहीं किया है, अतः इसे माननीय भूल मानकर लघुदंड निर्धारित कर निम्न न्यायालय के आदेश को खंडित करने की कृपा की जाय। वैसे भी निम्न न्यायालय का आदेश तथ्य से परे है जो खंडित करने योग्य है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं, निष्कर्षो के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश तथ्यों से परे है, केन्द्र खुला था बच्चें 20 उपस्थित थे, सहायिका उपस्थित थी किन्तु सेविका कुछ समय के लिए अनुपस्थित पाई गई, तो सिर्फ अनुमान लगाकर कि सेविका अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है यह निर्णय, चयन मुक्ति आदेश का निर्णय नियम संगत नहीं है, अनुमान लगाकर निर्णय लेना सही नहीं है बल्कि केन्द्र के लाभुक बच्चों के माता– पिता के लिखित बयान पर निर्णय लेना चाहिए कि सेविका निरीक्षण तिथि को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है या उपस्थित है? दायित्वों का निर्वहन की है या नहीं? यानी proper verification के आधार पर निर्णय पर आना चाहिए जो इसमें पालन नहीं किया है। यहाँ विभागीय मार्ग दर्शिका ज्ञापांक 956 दिनांक 14.03.2012 के कंडिका iii (i) का उल्लघंन किया गया है। अतः यह न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के पारित आदेश ज्ञापांक 683 दिनांक 29.01.2014 को खंडित करती है, तथा सेविका को लघुदंड मात्र पन्द्रह दिनों की समुतल्य पोषाहार राशि को कोषागार के विभागीय शीर्ष में जमा करने हेतु निर्देश देती है एवं आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन को यथावत रखती है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

11.3.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

11.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा